न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) (फौत)

   1/1 दौलत सिंह } पि. प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव
   1/2 महेश सिंह }

   1/3 दशरथ सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव (फौत)

   1/3/1 राधा पत्नि दशरथसिंह

   1/3/2 कार्तिक पुत्र दशरथसिंह
   जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव, हाल निवासी C/o जीतेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह एफ–501,सारस्वत महादेव, अपोजित धरती स्टेट्स, सूर्यम ग्रीन, न्यू आर.ओ.सी. रोड, वास्ताल अहमदाबाद (गुजरात) 382418

   1/4 हनुमानसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–07.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा ग्राम ऊँचागांव तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा ग्राम ऊँचागांव सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 57 किस्म बारानी–3 से श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव तहसील मासलपुर के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में प्रेमसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव तहसील मासलपुर दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा बाके ग्राम ऊँचागांव को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 57 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को उक्त निराधार तथ्यों के आधार पर दिया गया है तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए यह नोटिस दिया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के नाम

जिला कलक्टर
करौली

बाके ग्राम ऊँचागांव में खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा वाहैसियत खातेदारी काश्तकारी कब्जा है और जमाबंदी संवत् 2075–78 में खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा बारानी–3 में अंकित है एवं नाला नदी के नाम कोई भी किस्म काश्त दर्ज नहीं है जबकि हल्का पटवारी के आधार पर रेफरेन्स के लिये रिपोर्ट पेश की है, वह निराधार तथ्यों के आधार पर है। यदि उक्त जमीन आवंटन लायक नहीं थी तो आवंटन समिति ने उसे उस समय उक्त जमीन को प्रार्थीगण के नाम वाहैसियत खातेदार किस प्रकार से घोषित की है, वह स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रार्थीगण किसी प्रकार बेदखल किये जाने योग्य नहीं है। नोटिस अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त रेफरेन्स परिसीमा अधिनियम की धाराओं के खिलाफ है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में कई विगत 40 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् उक्त जमीन से बेदखल नहीं किया जा सका है। यदि ऐसा किया गया तो विधि का खुला उल्लंघन होगा। इस बिना पर रेफरेन्स तहसीलदार व नोटिस खारिज किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा परिवर्तनशील नकल व किस्म के बारे में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और पटवारी की रिपोर्ट को मध्येनजर रखते हुए और मिसिल तलब किये खसरा नं. 337/1 नाली दर्ज होना कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को जिस्मानी मेहनत व लागत लाखों रुपये की लगा कर काबिल काश्त बनाया है व काबिल काश्त है। उक्त रकबा 2 बीघा भाग है। यदि प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी और प्रार्थीगण अपनी आजीविकोपार्जन से वंचित हो जायेंगे तथा प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थीगण उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेंगे। प्रार्थीगण में से दशरथसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव का स्वर्गवास हो चुका है। अंत में प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1/3/1 व 1/3/2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई जवाब पेश किया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 337 रकबा 7–10 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 57 द्वारा श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव तहसील मासलपुर के नाम जरिये नियमन दर्ज की गई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में प्रेमसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव तहसील मासलपुर के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ऊँचागांव की आराजी खसरा नंबर 337/1 रकबा 2–00 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, करौली